गांधीजी और विभिन्न वाद

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स न० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७ | सम्पादक : मगनभाअी प्रभुदास देसाअी | अंक २५

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २२ अगस्त, १९५२

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

संविधान और पिछड़े हुअे वर्ग

भारतका संविधान धर्म, जात-पांत, लिंग या जन्मस्थान वगैराके भेद-भावके विना राष्ट्रके हर नागरिककी सब प्रकारकी समानताके आधार पर रचा गया है। अुसकी यह प्रतिज्ञा है कि अूपर बताये गये किसी भी भेदके कारण किसी नागरिककी अुन्नति और विकासमें कोअी बाधा नहीं होगी और सबको सरकारी या सार्वजनिक सुख-सुविधाओंका अेकसा लाभ मिलेगा। [धारा १५ — (१) (२)]

लेकिन अुसमें यह स्पष्टता कर दी गअी है कि बालकों या स्त्रियोंके लिअे, या सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्टिसे पिछड़े हुअे वर्गोंके खातिर, या सूचीवार नियत कर दी गअी (अस्पृश्य) जातियों अथवा (वन्य और पहाड़ी) जातियोंके लिअे राज्य कोअी विशेष व्यवस्था करना चाहे, तो अुसके लिअे अूपर बताअी गअी समानताकी धाराके आधार पर कोअी अेतराज नहीं अुठाया जा सकता या रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। [धारा १५ — (३) (४)]

और संविधानकी १६वीं धारामें यह विशेष रूपसे कहा गया है कि सरकारी नौकरियोंमें भी नागरिकोंके बीच किसी तरहका भेद नहीं किया जायगा। लेकिन वहां भी यह साफ कर दिया गया है कि अूपर बताये गये किसी पिछड़े हुअे वर्ग या जातिके लिअे नौकरीकी अमुक जगहें सुरक्षित रखनेमें कोअी दोष नहीं माना जायगा। राजकाजको किसी तरहकी हानि न पहुंचे अिस तरह नौकरी देते समय अिन जातियों या वर्गोंके हकका खयाल रखा जायगा। (धारा ३३५)

अूपरकी खास व्यवस्थायें संविधानमें अमुक वर्गोंके सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक दृष्टिसे पिछड़े हुअे होनेके कारण की गअी हैं। पुराने अंग्रेजी राज्यमें अिसके अलावा धर्मवार जातियोंके कारण भी खास व्यवस्था की जाती थी। अुदाहरणके लिअे, मुसलमान जातिके लिअे। अिस चीजको भारतके स्वतंत्र संविधानने खतम कर दिया है। अैसा कह सकते हैं कि अिस तरहकी जातीयता या साम्प्रदायिकताका अब हमारे संविधानमें कोअी स्थान नहीं रहा। यद्यपि अिसमें अेंग्लो-अिंडियन जातिको अपवाद मानना पड़ा है। अंग्रेजी राज्यमें अिस जातिको अमुक सरकारी महकमोंमें खास जगहें दी जाती थीं। संविधानने वह व्यवस्था जारी रखी है; लेकिन अैसा तय किया है कि हर दो सालके बाद अुसमें कमी की जाय और दस बरसमें अुस जातिका यह खास हक खतम कर दिया जाय (धारा ३३६)। अिसके अलावा, अिस जातिको अंग्रेजी राज्यमें शिक्षाके संबंधमें भी खास मदद और सुविधायें दी जाती थीं। संविधानमें अुन्हें भी कम करते-करते दस बरसमें खतम कर देनेकी बात कही गअी है। (धारा ३३७)

धारा ३३८ में कहा गया है कि अूपरकी खास व्यवस्थाओंके अमलके बारेमें जांच करनेके लिअे राष्ट्रपति अेक खास अधिकारी नियुक्त करेंगे। वह अधिकारी 'परिगणित' (शेड्यूल्ड) जातियों तथा पिछड़े हुअे वर्गों और अेंग्लो-अिंडियनोंका ध्यान रखेगा और राष्ट्रपतिके आदेशानुसार अिस विषयमें जांच करता रहेगा, तथा दस बरस बाद अिस कामकी रिपोर्ट पेश करेगा जो संसद्के सामने रखी जायगी।

अूपर बताये मुताबिक पिछड़ेपनका खयाल करके और अुसे दूर करनेके लिअे राहत देनेके खातिर संविधानने नीचेके वर्गों या प्रजाके खास समूहोंको स्वीकार किया है: १. अस्पृश्य मानी जाने-वाली जातियां, २. पहाड़ी और वन्य जातियां तथा अुनके प्रदेश, ३. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिसे पिछड़े हुअे वर्ग और ४. अेक जातिके नाते अेंग्लो-अिंडियन लोग।

और पहले तीन वर्गोंके लिअे राज्योंको यह आदेश दिया गया है (धारा २२) कि वे अिन वर्गोंके आर्थिक और शैक्षणिक हितोंकी रक्षा करें और अुन पर सामाजिक अन्याय न होने दें।

अिन वर्गोंकी खास जरूरतोंको देखकर अुन्हें जो विशेष स्थान दिया गया है, अुसे बतानेके लिअे संविधानके १६ वें विभागकी अलग रचना की गअी है और अुसमें तत्संबंधी व्यवस्थायें बताअी गअी हैं।

अिन व्यवस्थाओंके दो प्रकार किये जा सकते हैं: — १. राजनैतिक, २. सामाजिक। राजनैतिक प्रकारमें यह कहा गया है कि संसद् और राज्योंकी धारासभाओंमें अिन परिगणित वर्गोंके खास प्रतिनिधित्वके लिअे सुरक्षित स्थान रखे जायं। यह सुविधा दस बरस तक ही रहेगी। अिसके बाद वह बंद कर दी जायगी। (धारा ३३४) अर्थात् दस बरस बाद राजनैतिक समानताके आदर्श पर संविधानके अनुसार पूरी तरह अमल किया जायगा।

सामाजिक सुविधाओंकी दूसरे प्रकारकी व्यवस्थाओंमें मुख्य है नौकरियोंमें अिन वर्गोंके लिअे सुरक्षित स्थान रखना और शिक्षणमें खास मदद करना, जिससे अुनका पिछड़ापन मिटाया जा सके। अिस संबंधमें अेंग्लो-अिंडियनोंके लिअे जो व्यवस्थायें हैं, वे भी दस बरसमें समाप्त हो जायंगी, अैसा संविधानमें कहा गया है। अिस तरहका मीआदका बन्धन बाकीके तीन वर्गोंके लिअे नहीं दिखाअी देता। वे सुविधायें अुन्हें मिलनी कब बंद होनी चाहियें, यह निश्चित रूपसे संविधानमें बताया नहीं गया है। अिसलिअे नागरिक जीवनसे संबंध रखनेवाले अिस विषयमें भी राज्य समान दृष्टि रखकर व्यवहार करना कब शुरू करेगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह जरूरी तो है ही, क्योंकि सभी नागरिकोंको समान दृष्टिसे देखनेकी राज्यकी प्रतिज्ञा है।

यह सच है कि प्रजाके अमुक वर्ग या समूह यदि पिछड़े हुअे हों, तो अुन्हें कामचलाअू समानताके स्तर पर लाना राज्यका फर्ज माना जायगा (देखिये — धारा २२)। अैसा किये बिना सबको समान कह और मानकर चलनेमें अैसे वर्गोंके साथ अन्याय हो

www.vinoba.in

सकता है। परंतु अुनका यह पिछड़ापन हमेशा तो रहेगा नहीं — रखना नहीं है। तब फिर यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वह अमुक प्रकारसे और अमुक अवधिके बाद खतम हो जायगा। वर्ना पिछड़ेपनका अिजारा मिल जानेसे अुससे मिलनेवाला लाभ न सिर्फ संबंधित वर्गोंको हानि ही पहुंचायेगा, बल्कि दूसरोंके लिअे अीर्ष्या-जनक भी बन जायगा और दूसरे समूह या वर्ग भी वह अिजारा पानेकी ताकमें रहने लगेंगे। यह चीज किसी भी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती।

अतः अिस लाभकी अवधि या मीआद तय करने या देनेके अलावा दूसरी जरूरी बात यह तय होनी चाहिये कि किस जाति, समाज या वर्गोंको यह लाभ मिलेगा। अिस चीजको संविधानने स्वीकार किया है, अिसीलिअे अुसमें 'परिगणित जातियों' की सूचियां प्रकाशित करनेका फर्ज राष्ट्रपति पर डाला गया है (देखिये धारा — ३४१, ३४२) और अुसके अनुसार अुन्होंने ये सूचियां प्रकाशित की हैं। अुनसे यह स्पष्ट हो गया है कि अस्पृश्य मानी जानेवाली और वन्य तथा पहाड़ी मानी जानेवाली जातियां कौन कौनसी हैं। संविधानने अुनकी निश्चित व्याख्या भी कर दी है। यही बात 'अँग्लो-अिंडियनों' के बारेमें भी है। लेकिन सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टिसे पिछड़े हुअे माने जानेवाले वर्ग कौन कौनसे हैं, अिसकी निश्चित व्याख्या संविधानमें नहीं की गअी है। यह काम हर राज्यको करना है। आज तो अंग्रेजी हुकूमतके जमानेसे चली आअी जो सूचियां राज्योंके पास हैं, अुन्हींके आधार पर वे अपना काम करते हैं। लेकिन अुन सूचियोंमें से कानूनन् सही किन्हें माना जाय, यह तय करनेमें मददगार हो अैसी कोअी निश्चित कसौटी देखनेमें नहीं आती। शायद यह तय करना कठिन हो, फिर भी संविधानके अनुसार वैसा करना जरूरी तो है ही।

यह तो साफ है कि अैसा करना कठिन क्यों है। अस्पृश्य जाति कौनसी है, यह पता लगाकर तय किया जा सकता है। वह अेक धर्म और समाज द्वारा पैदा की हुअी कुप्रथा है, अिसलिअे अुसके विषयमें प्रत्यक्ष वस्तुगत निर्णय करना संभव है। यही बात वन्य तथा पहाड़ी जातियोंके बारेमें भी सच है। अुनके बिलकुल अलग पड़ जानेवाले समाजको दूसरोंसे भिन्न गिनाया जा सकता है। अिसलिअे अुनकी भी प्रत्यक्ष वस्तुगत सूची बनाअी जा सकती है। लेकिन अुसी तरह यह तय करना कठिन है कि किस वर्गको शिक्षणकी या सामाजिक दृष्टिसे पिछड़ा हुआ माना जाय। जात-पांतके साफ दीखनेवाले पिछड़ेपनकी तरह अिस प्रकारका पिछड़ापन तुरन्त बताया नहीं जा सकता। हर वर्ग या समूहमें अमुक लोग आगे बढ़े हुअे और अमुक लोग पीछे रहते हैं। फिर भी यह सच है कि हिन्दू समाजमें घुसा हुआ जात-पांतका अूंच-नीच भाव अेक सामाजिक बुराअी है। यह भी सच है कि यह अूंच-नीच भाव समाज और शिक्षणमें भी कुछ अंश तक अुतरता है। अीसाअी और मुस्लिम वगैरा जातियोंमें अैसा समाजगत अूंच-नीच भाव नहीं है। कोअी अीसाअी या मुसलमान अितने बरसका या अितनी पीढ़ियोंका हो गया है अथवा कोअी अपने मूल धर्म या जातिसे अीसाअी या मुसलमान बना है, अिसलिअे किसीको अूंचा या नीचा माननेकी प्रथा अिन समाजोंमें नहीं है। अिस तरह देखनेसे मालूम होता है कि अुनमें अमुक सामाजिक समानता है। अुनमें भी आर्थिक कारणोंसे — गरीबीके कारण — शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिसे पिछड़े हुअे लोग मिलेंगे; लेकिन यह चीज किसी निश्चित वर्गमें ही नहीं पाअी जाती। अैसे तो हरअेक अूंची या नीची या चाहे जैसी मानी जानेवाली जाति या वर्गमें आर्थिक दृष्टिसे गरीब-अमीरके भेद और अुनसे पैदा होनेवाले शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपनके भेद पाये जायंगे। अिसके अलावा आजका गरीब कल अमीर भी बन सकता है। मतलब यह कि ये भेद समाज-रचनामें पैठे हुअे वास्तविक अूंच-नीचपन या पिछड़ेपनके भेद नहीं हैं, जैसा भेद हिन्दू समाजकी जातियोंमें घुसा हुआ मिलेगा। अिस कारणसे पुराने अंग्रेजी राज्यमें तो प्रजाके तीन भेद किये गये थे — आगे बढ़े हुअे, बीचके और पिछड़े हुअे। और अुसी दृष्टिसे अुन्हें नौकरी, शिक्षण वगैरामें खास राहत दी जाती थी। अिसी चीजकी विरासत हमारे संविधानको मिली है और अुसे अस्पृश्य तथा वन्य और पहाड़ी जातियोंके साफ दिखाअी देनेवाले समूहोंके अलावा चौथा अुल्लेख पिछड़े हुअे वर्गोंका करना पड़ा है। लेकिन ये वर्ग कौन कौनसे हैं, यह तय नहीं किया है; हालांकि अुसके लिअे क्या किया जाना चाहिये अिसकी व्यवस्था संविधानमें है जरूर। अिस पर हम आगे विचार करेंगे।

१०-८-'५३ **मगनभाअी देसाअी**

(गुजरातीसे)

अुर्दू न तो हिन्दीकी विरोधी है, न राष्ट्र-हितकी

अंजुमन तरक्की-अे अुर्दू (हिन्द) के अध्यक्ष और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटीके वाअिस-चैंसलर डॉ० जाकिर हुसैनने आज (लखनअू, ता० २६ जुलाअी) यह घोषित किया कि अुत्तर प्रदेशमें अुर्दूको सरकारी मान्यता दिलानेके लिअे किया जा रहा आन्दोलन हमारी अिस मानी हुअी नीतिका पोषक है कि भारत लोकतंत्रकी पद्धतिका अनुसरण करनेवाला धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यह आन्दोलन अिस नीतिके खिलाफ किये गये अन्यायके सुधारके लिअे अुठाया गया कदम है। अुन्होंने कहा, "यह आन्दोलन हिन्दी-विरोधी या राष्ट्र-हितका विरोधी नहीं माना जाना चाहिये। अुसका अुद्देश्य अिस अधिकारकी स्थापना करना है कि हरअेक आजादीके साथ रहनेका अधिकारी है, हमें खुद आजादीके साथ रहना चाहिये और दूसरोंको रहने देना चाहिये, ताकि सबको सबका लाभ मिले।"

डॉ० जाकिर हुसैनने ये अुद्गार आज सुबह यहां अुत्तर प्रदेश अुर्दू कान्फरेंसकी प्रारंभिक बैठकके सभापति-पदसे बोलते हुअे प्रगट किये। पाठकोंको याद होगा कि अुर्दू-भाषा-भाषी लोगोंकी ओरसे संविधानकी धाराके अनुसार अुर्दूको अुत्तर प्रदेशकी प्रादेशिक भाषाकी मान्यता दिलानेके लिअे राष्ट्रपतिको अेक अर्जी दी जा रही है और अुस अर्जी पर बीस लाख लोगोंके दस्तखत करवानेके लिअे अेक मुहिम चलायी गयी थी। यह मुहिम सफलतापूर्वक पूरी हो गयी है और प्रस्तुत कान्फरेंस अुसीके सिलसिलेमें हुअी थी।

डॉ० जाकिर हुसैनने कहा कि अुर्दू अखिल भारतीय भाषा है और अुत्तर प्रदेश अुसका घर है। अुर्दूके समर्थक अुसके लिअे कोअी अलग प्रदेश नहीं चाहते और न वे हिन्दीकी बराबरी ही करना चाहते हैं।

आगे चलकर अुन्होंने कहा:

"यह देखकर दुःख होता है कि यह बिलकुल सादी और लोकतंत्र-सम्मत मांग कि अुर्दूको अिस राज्यमें अुसका अुचित स्थान मिलना चाहिये साम्प्रदायिक और अलगावकी प्रवृत्ति बढ़ानेवाली समझी जाती है। यह बात सही है कि गुजरे हुअे वक्तमें अिस प्रश्नको राजनीतिक और धार्मिक कठमुल्लोंने अैसा मजहबी रंग दे दिया था जिससे वह जटिल हो गया था। लेकिन जो बीत गया है अुसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये। हम पुराने राग-द्वेषोंका अलाप भरते रहें तो अुससे केवल अुनका ही लाभ होगा, जो हमारे धर्म-निरपेक्ष राज्यके दुश्मन हैं और जो हमारे संविधानका द्रोह करना चाहते हैं। अुर्दूको साम्प्रदायिक कहना या अुसे विदेशी, बाहरसे लादी हुअी और कृत्रिम बताना झूठी बदनामी करनेके सिवा और कुछ नहीं है। अुर्दू हमारी जनताके जीवन-संघर्षके लिअे किये गये

www.vinoba.in

सम्मिलित प्रयत्नका फल है। अुसे हमारे सूफियों और सन्तोंकी कृपाका प्रसाद मिला है, और अुसके विकासमें व्यापार और वाणिज्य, बाजार और सभा-स्थल आदि भाषाके विकासके कअी साधनोंका हाथ रहा है। वह जिनकी भाषा है, वे किसी अेक परम्परासे बंधे हुअे नहीं थे; वे परिस्थितियोंके अनुसार बदलने और बढ़नेके लिअे तैयार थे। वह राज्यके हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्खोंके अेक-दूसरेके नजदीक आने और मिलकर रहनेकी बौद्धिक और हार्दिक भावनाकी सूचक है। अुर्दूमें जाने कितने गैर-मुस्लिम लेखक हुअे हैं और आज भी हैं। भारतके तमाम धर्म, हमारी आजादीकी सारी लड़ाअियां, हमारा अितिहास और संस्कृति — सारांशमें हमारा सारा अतीत अुसमें निहित है। अज्ञान या द्वेषके कारण हम अुसका अिनकार करें, तो यह हमारी मिली-जुली विरासतकी असेवा होगी।

"अुर्दू न तो विदेशी भाषा है, न विदेशियोंकी भाषा है। भाषाकी दृष्टिसे अुसकी सारी क्रियायें, विभक्तियां और संबंधसूचक अव्यय, तथा दैनिक व्यवहारमें काम आनेवाली सारी संज्ञायें हिन्दीकी ही हैं। अुसकी ध्वनियोंका अधिकांश भारतीय है और अुसकी लिपिमें भी — जिसे बहुत जोरसे विदेशी कहा जाता है — काफी संख्यामें भारतीय ध्वनियां मौजूद हैं।

"कुछ लोगोंने हमारी अिस कोशिशको भारतीय अेकताके लिअे विघातक बताया है। हमने हिन्दी जबसे भारतकी संघ-भाषा घोषित हुअी है, तबसे कभी अुसका विरोध नहीं किया; और यद्यपि गांधीजीकी यह सलाह कि जो लोग हिन्दी जानते हैं अुन्हें अुर्दू भी सीखना चाहिये बिलकुल भुला दी गयी है, हम हमेशा अुर्दू-भाषा-भाषियोंसे हिन्दी सीख लेनेका आग्रह करते रहे हैं। देशकी विविध भाषाओंमें अुर्दू भी है और अिस तरह अुसके कुछ अधिकार हैं; अिसलिअे अुर्दू भी अुत्तर प्रदेशकी अेक सरकारी भाषा मानी जाय, अिस आन्दोलनको राष्ट्रीय अेकताका विघातक किसी तरह नहीं माना जा सकता। हमारी अेकता अितनी विविधतापूर्ण है कि हमने देशकी १४ मुख्य भाषायें मानी हैं। अिस दृष्टिसे देखें तो अुर्दूको अुत्तर प्रदेशमें अतिरिक्त सरकारी भाषा बनानेसे अलगाव और विभाजनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, यह आशंका निराधार मालूम होती है। स्विटज़रलैंड बहुत छोटा देश है, लेकिन अुसमें अभी तक तीन सरकारी भाषाअें रही हैं; और अभी-अभी अेक चौथी भाषाको भी सरकारी भाषाकी तरह मान्य कर दिया है, जिसके बोलनेवालोंकी संख्या सिर्फ ५०००० है। भाषाओंकी विविधतासे राष्ट्रीय अेकताकी कोअी हानि नहीं होती। सब भाषाओंके प्रति अुदारताका व्यवहार करनेसे राष्ट्रीय अेकताको बल ही मिलेगा, हानि तो किसी अेक भाषाको सब पर लादनेसे ही हो सकती है।

"कुछ लोग बहुत जोरसे कहते हैं कि अुर्दू कोअी स्वतंत्र भाषा नहीं, हिन्दीकी ही अेक शैली है। अेक ओर तो अुसे साम्प्रदायिकता और अलगावकी प्रवृत्तिका वाहन माना जाता है, दूसरी ओर अुसे हिन्दीकी अेक शैली बताया जाता है। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह गलत तर्कका, और अुससे भी ज्यादा गलत भाषा-ज्ञानका नमूना है। अुर्दू और हिन्दीकी अुत्पत्तिका स्रोत अेक ही है, लेकिन अुन्होंने दो अलग साहित्योंका विकास किया है। अब वे दो स्वतंत्र प्रवाह हैं, जो अेक-दूसरेसे बहुत अलग-अलग हैं। अुर्दूको हिन्दीकी केवल अेक शैली कहकर अुसकी अुपेक्षा करना अीमानदारी नहीं है।

"लोग पूछते हैं अुर्दूका अपना अलग प्रदेश कहां है? जिस तरह बंगाली, मराठी, तामिल आदि भाषाओंके अपने अलग प्रदेश हैं, अुस तरह अुर्दूका अलग कोअी प्रदेश जरूर नहीं है। वह अेक अखिल भारतीय भाषा है और अुत्तर प्रदेश अुसका घर है। हम यह नहीं चाहते कि अुर्दूका कोअी स्वतंत्र प्रदेश अलग बनाया जाय, और न हम हिन्दीसे हर कदम पर बराबरीका ही दावा करते हैं। लेकिन अिस प्रदेशकी साक्षर जन-संख्याका २५ से ३० प्रतिशत अपनी सारी आवश्यकताओंके लिअे अुर्दूका अुपयोग करता है और अुनमें बहुत कम अैसे हैं जो हिन्दी जानते हों। अिसलिअे अुत्तर प्रदेश सरकारकी केवल हिन्दीका ही अुपयोग करनेकी मौजूदा नीतिसे अिन अुर्दू-भाषी लोगोंको काफी मुश्किल और परेशानी अुठाना पड़ रही है। अिस परिस्थितिमें वे अपढ़-जैसे हो गये हैं। अुर्दू और हिन्दीमें प्रतियोगिताका तो कोअी प्रश्न ही नहीं है। दोनों साथ-साथ विकास करती रह सकती हैं। सारे प्रदेशमें हर तरहके सरकारी और गैर-सरकारी कामोंके लिअे हिन्दीका प्रयोग तो होगा ही, लेकिन राज्यको जनताके अुस वर्गकी सुविधाका खयाल भी तो रखना चाहिये जो अुर्दू बोलता है, ताकि वे लोग प्रान्तके जीवनमें भाग लेनेसे वंचित न हो जायं।

"दो शब्द मैं हिन्दीके लेखकोंसे कहूंगा। मुझे लगता है कि आपमें से ज्यादातर लोगोंने हमारी मांगको ठीक समझा नहीं है। अुर्दू-हिन्दी विवादको बहुत दिन तक हिन्दू-मुस्लिम दृष्टिकोणसे देखा जाता रहा है। अिस अितिहासको भूलना आसान नहीं है। लेकिन अब हम लोग आजाद हैं और हमें बीती हुअी चीजको भूल जाना चाहिये, नहीं तो हम नव-भारतके निर्माणका अपना कर्तव्य नहीं निबाह सकेंगे। हमारी आजादी हमें नये प्रयत्नोंकी तरफ बुला रही है। हम अपने अिस नये जीवनको अेक विशेष रूप देना चाहते हैं। यह रूप कैसा होगा, अिसकी अेक झलक हमें हमारे संविधानमें मिलती है। यह जीवन सहिष्णुता, सम्मिलित प्रयत्न, और किसी अेक वर्ग द्वारा किसी दूसरे वर्गके शोषणके अभावके आधार पर खड़ा होगा। शक्ति अधिकार नहीं है, अधिकार ही शक्ति है। हिन्दी हमारे संघकी भाषा है और प्रदेशकी भाषा है। अगर दूसरी भाषाअें फूलती-फलती हैं, तो अुनसे हिन्दीकी भी समृद्धि होगी। अुर्दूको मान्यता दिलानेके अिस आन्दोलनकी अकारण बहुत निंदा की गयी है। मैंने तो कभी किसीके खिलाफ अेक शब्द नहीं कहा है। वह मेरा तरीका नहीं है। लेकिन मुझे अेक शिकायत है। आप लेखक-गण राष्ट्रके अुत्तम आदर्शोंके संरक्षक हैं। आप हमारे अंधेरे जीवनको प्रकाशित करते हैं। आप हमारे जीवनमें जो अनिष्ट तत्त्व हैं, अुनके खिलाफ असंतोषकी वृत्तिका निर्माण करते हैं और हमारी दृष्टिको आकाशकी अूंचाअीकी ओर अुठाते हैं। आपका कार्य वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप भविष्यको भी देखते हैं और गीतों, कविताओं तथा अन्य रचनाओंमें अपने सपनोंके द्वारा आगामी कलके भारतका निर्माण कर रहे हैं। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत दुःख हुआ है कि आप लोग भी हमारी अिस मांगको अेकताको तोड़नेवाली और अलगावको बढ़ानेवाली मानते हैं। आप हमारी मांगके न्यायको देखनेकी कोशिश कीजिये और यदि आपको लगे कि वह पूरी या अंशतः सही है, तो अुसे स्वीकार कराने पर जोर दीजिये। आपके सहयोगसे हमारी मांगको बल मिलेगा। अुर्दूको न्याय दिया जाय, अिस मांगका यदि आप समर्थन करें, तो आपको कोअी साम्प्रदायिक या अलगाववादी नहीं कहेगा और आपकी अिस हमदर्दीसे अुर्दूके लेखकोंमें भी अैसे ही भावोंका निर्माण होगा। कोअी भी भाषा किसी पर लादी नहीं जा सकती। वह तो तभी चलती है जब लोग अुसे स्वेच्छासे स्वीकार करें और प्यार करें। अुर्दूके लेखकोंके प्रसन्न साहित्यिक दानसे हिन्दी और भारत दोनोंका लाभ होगा।"

[२७ जुलाअी, १९५३ के 'नेशनल हेराल्ड' से]
(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

२२ अगस्त १९५३

गांधीजी और विभिन्न वाद

सूरतसे अेक भाअी नवजीवन कार्यलयके व्यवस्थापक श्री जीवणजी देसाअीको लिखे अपने पत्रमें नीचेका सुझाव पेश करते हैं, जिसे सार्वजनिक चर्चाके लायक मानकर यहां देता हूं:

"यह निश्चित बात है कि समाजवादियों और साम्यवादियोंके प्रचंड प्रवाहके सामने पूज्य बापूका साहित्य (अुनकी अनुपस्थितिमें) आज बहुत बिकता नहीं। समाजवादी और साम्यवादी दोनों मार्क्सवादी नास्तिक हैं। बापूका अुनके साथ बुनियादी मतभेद था। नास्तिकता और हिंसा पर खड़ी समाज-रचना बापूको स्वीकार नहीं थी। लेकिन गांधीवादके प्रति आज भी लोगोंमें पूज्य भाव होनेके कारण दोनों पक्ष (समाजवादी और साम्यवादी) प्रमुख गांधीवादियोंको जीत लेनेका प्रयत्न कर रहे हैं। आचार्य कृपलानीको समाजवादियोंने जीत लिया है और श्री विनोबाको जीतनेका प्रयत्न जारी है! दूसरी तरफ साम्यवादी श्री रविशंकर महाराज और श्री कुमारप्पाको जीत लेनेका संतोष अनुभव कर रहे हैं। और कुछ हद तक वह बात सच भी है।

"अैसे वक्त नवजीवन कार्यालयको मजबूत बनानेके लिअे कार्यालयमें और अुसकी शाखाओं पर हमारे प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक भारतीय महापुरुषोंके ग्रन्थोंकी बिक्री भी चालू कर देना निहायत जरूरी है।"

गांधी-साहित्यकी बिक्रीके बारेमें अूपरकी शिकायत कोअी नअी नहीं है। गांधीजीके जीवन-कालमें भी वह मौजूद थी; और पत्रलेखक आज व्यवस्थापकको लिखते हैं, वैसा कुछ लोगोंने खुद गांधीजीको भी लिखा था।

वैसा अेक मौका मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत करके वह १९३५-४० के बीचकी बात होगी। आश्रममें बचपनसे पल-पुसकर बड़े होनेवाले अेक नौजवानने अपने आसपासके शहरी कालेजोंका वातावरण देखकर गांधीजीसे कहा: "बापू, समाजवादी और साम्यवादी अपने विचार रोचक शैलीमें और आकर्षक पुस्तकों व पुस्तिकाओंके द्वारा पेश करते रहते हैं। अिसलिअे कालेजोंमें और बाहर मेरे जैसे अनेक युवकोंमें अुनका प्रचार और प्रसार होता है। अुन्हें पढ़नेके लिअे वे ललचाते हैं। अुसी तरह आपके विचारोंके बारेमें भी होना चाहिये। वर्ना नअी पीढ़ी समाजवादी और साम्यवादी विचारोंमें ही रंग जायगी।"

बापूने जवाब दिया—"तुम्हारी बात तो ठीक है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अन्तमें अगर मेरी बात सच होगी तो वही कायम रहेगी। और दूसरी बातें, भले कितने ही आकर्षक रूपमें अुनका प्रचार किया गया हो, डूब जायंगी। और अगर मेरी बात गलत हो तो वह क्यों कायम रहे? वह डूब या मिट जाय यही अच्छा है। अिसलिअे मैं अुतावला या अधीर न बनकर और समाजवादियों तथा साम्यवादियोंकी तरह व्यर्थकी झंझटोंमें पड़े बिना जिसे सच मानता हूं, अुसे करता जाता हूं और साथ-साथ वह चीज जिज्ञासुओंके लिअे कहता और लिखता रहता हूं। 'सत्यमेव जयते, नानृतम्'—अन्तमें सत्यकी ही जीत होती है, असत्यकी नहीं अैसी अचल श्रद्धा रखकर हम काम करें तो बस है। फल तो अीश्वरके हाथमें है।"

अूपरका संवाद मैंने अपनी भाषामें रखा है। अुसमें अुसका सार देनेका प्रयत्न मैंने किया है।

आज गांधीजीकी बातोंकी कसौटी हो रही है। अभी तक हम अुन्हींके पीछे-पीछे चलते थे, क्योंकि तब दूसरा कुछ खास करनेकी जरूरत नहीं थी। अुल्टे वैसा करनेसे हमें शक्ति और बल मिलता था। अुस वक्त स्वराज प्राप्त करनेकी बात थी। अिसलिअे अेकतासे चलना जरूरी था और अुसमें कोअी खास कठिनाअी नहीं थी। अब स्वराज आ गया है। पहले हम जो कुछ कहते थे, अुसके अनुसार अब करनेका समय आरंभ होता है। अिसलिअे अब सब कोअी गहराअीसे अुस पर विचार करते हैं और जिसे जैसा पसन्द आता या समझमें आता है, वैसा वह व्यवहार करता है। अिस कारणसे पहलेकी अेकता अब नहीं रह सकती।

और अिसमें कोअी आश्चर्यकी बात भी नहीं है। अब देशके नव-निर्माणका युग शुरू होता है। अिसलिअे देखना यह है कि वह काम कैसे किया जाय। अिसमें राज्यकी सत्ताका बल हाथमें लेकर नव-निर्माणके लिअे अुसका अुपयोग करनेका प्रश्न आता है। अब सवाल केवल यह नहीं रहा कि यह वाद सच्चा या वह वाद। अब तो हमें अिस बातका विचार करना है कि भारतकी जनताको किस तरह सुखी, समृद्ध और शान्तिसे जीवनयापन करनेवाली बनाया जा सकता है, और अुस पर अमल करना है। अिसलिअे कहा जा सकता है कि आज अलग-अलग वादोंकी कसौटी हो रही है।

गांधीजी जो कुछ कहते थे, वह युरोपसे हमारे जाने हुअे अलग-अलग वादोंकी होड़में नहीं कहते थे। अुन्हें अैसे किसी नये वादकी रचना नहीं करनी थी। अुनकी हर बातके पीछे यह दृष्टि थी कि भारतके लोगोंके लिअे क्या अनुकूल होगा और अुन्हें क्या पसन्द आयेगा। अिस संबंधमें गांधीजीने हमें कुछ बुनियादी बातें कही हैं:

१. दरिद्रनारायणकी सेवा सबका समान कार्य है। अिस मुख्य कसौटी पर हर चीजको कसकर प्रत्येक योजना या कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

२. अिसके लिअे अन्त्योदय करनेकी सर्वोदयकी रीत सच्ची है।

३. भारत गांवोंमें बसता है। अिसलिअे अुसके सच्चे प्रश्न गांवोंके प्रश्न हैं।

४. अुसे सिद्ध करनेके लिअे श्रमकी पूंजी और स्वदेशीका शस्त्र अुत्तम साधन है। अुसके बिना भारतकी जनता सुख और स्वतंत्रतापूर्वक अपना पेट नहीं भर सकती।

५. अिसलिअे हमें खादीके व्यापक अर्थशास्त्रका विकास करना चाहिये। अैसा कुछ हमें पश्चिमसे तैयार नहीं मिल सकेगा।

६. यंत्र मनुष्य-जातिका सेवक है; अुसे स्वामी न बनने देना चाहिये। वर्ना मानव समाजको नुकसान पहुंचेगा। दुर्भाग्यसे आज यंत्र मनुष्यका स्वामी बनता दीखता है। अुसीसे यंत्रोद्योगवाद और पूंजीवाद या साम्राज्यवादकी विपत्ति पैदा हुअी है। अुससे हमें बचना चाहिये।

अूपरकी बातें हमारे आर्थिक जीवनके विषयमें हैं। समाज और धर्म-जीवनके बारेमें गांधीजी कहते थे:

७. स्त्री-पुरुष समान हैं; दोनोंकी जोड़ीसे समाज-रथ चलता है। मानव-धर्मजीवनमें दोनों सहधर्मचारी हैं। अिसलिअे स्त्री-पुरुषका संबंध भोग और अैश-आरामके लिअे नहीं हो सकता।

८. अस्पृश्यता और जात-पांत या वर्ण वगैराका अूंच-नीच भाव हिन्दू समाजका कलंक है। वह दूर न हुआ तो हिन्दू समाजका नाश हो जायगा।

यही बात काले-गोरेके रंगभेद या जातिभेद पर भी लागू होती है। अैसा हर तरहका अूंच-नीच भाव खतम किये बिना मनुष्य-

www.vinoba.in

जाति सुखी नहीं हो सकती और अपनी शक्ति विकसित नहीं कर सकती।

९. सारे धर्मोंके प्रति केवल सहिष्णुता ही नहीं, समभाव भी होना चाहिये। तभी सारी जातियां आपसमें हिलमिल कर रह सकती हैं और सच्चे मानवधर्मका अुदय हो सकता है।

अिसलिअे किसी आदमीका धर्म बदलनेकी अिच्छा रखना ठीक नहीं है। धर्मान्तरके लिअे कोअी संस्था नहीं हो सकती। सच तो यह है कि हरअेक धर्मावलम्बी अपने धर्मका अच्छा और सच्चा पालनेवाला बने। अैसा होगा तो ही धर्मके झूठे अभिमान और मजहबी पागलपनका जहर नहीं चढ़ेगा।

१०. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यह मानव-जातिका आदर्श है। अिसलिअे युद्ध नहीं, शांति और प्रेम ही सच्चा धर्म है। अिन आदर्शोंको व्यवहारमें लानेकी कार्यपद्धतिके बारेमें गांधीजीका सूत्र यह था कि:

११. साध्यके अनुरूप ही साधन होना चाहिये। साधन जैसा होगा वैसे ही साध्यकी प्राप्ति होगी। अिसलिअे साधनकी शुद्धि और सचाअी कार्यपद्धतिका मूलमंत्र है।

१२. अैसे समाजके पास सत्याग्रहका शस्त्र हमेशा रहेगा। वह अुसे ब्रह्मास्त्रका काम देगा।

१३. सत्याग्रहका तकाजा है कि हम शुद्ध, पवित्र और नम्र तथा अहिंसक बनकर सत्यकी सेवा करते-करते सत्यको खोजें।

१४. अूपरकी बुनियाद पर समाजके शिक्षणकी रचना की जानी चाहिये। अिसलिअे वह श्रम और अुद्योगके आसपास, जो कि समाज-जीवनके आधार हैं, रचा जाना चाहिये।

१५. सारा शिक्षण बालककी मातृभाषामें ही सच्चे और ठोस रूपमें दिया जा सकता है। "हरअेक शिक्षित भारतीयको मातृभाषाका, हिन्दूको संस्कृतका, मुसलमानको अरबीका, पारसीको पर्शियनका और सबको हिन्दीका ज्ञान होना चाहिये। . . . अिसे अुर्दू या नागरी लिपिमें लिखनेकी छूट होनी चाहिये। . . ." ('हिन्द स्वराज')

१६. अिस प्रकार रचा जानेवाला समाज खुद अुन्नति करेगा और अपने सदस्योंके अुन्नत बननेमें मददगार साबित होगा। और अैसा समाज विश्वशांतिकी स्थापना कर सकेगा।

अूपरकी बातें, यह लिखते समय जितनी जिस क्रममें सूझती गअीं, अुतनी अुसी क्रममें यहां मैंने दी हैं। अिसे कोअी पूरी सूची न मानें। अिनमें से और अिनके साथ दूसरी अनेक छोटी मोटी तथा अुनके अनुसंधानमें सूझनेवाली बातें पाठक स्वयं जोड़ सकते हैं। अुदाहरणके लिअे, शराबबंदी।

ये बातें जनताको पसन्द आयेंगी, तो अुनके प्रयोगकार और शास्त्रकार जागेंगे और साहित्यकार, कवि, लेखक वगैरा अुन्हें भलीभांति सजा-संवारकर लोगोंके सामने रखेंगे। और लोगोंमें से जिनके हृदयोंमें वे बस जायंगी, वे सहज स्फूर्तिसे अुन पर अमल करेंगे। अिसीसे वे सजीव और प्राणवान बनेंगी।

पत्रलेखकने अपने पत्रमें आजकी राजनीतिक स्थितिकी ओर भी अिशारा किया है। वे कहते हैं कि आज गांधीवादी कहे जानेवाले लोगोंको अिधर या अुधर खींचनेकी होड़ चल रही है। अिसमें मुझे कुछ सचाअी मालूम होती है। लेकिन वह दूसरी बात हुअी। गांधी वाद और गांधीजीके तत्त्वको अलग-अलग मानना अच्छा होगा। गांधीजी अपनी चीजको वाद कहना पसन्द नहीं करते थे। वे दिनोंदिन विकास पा रहे तत्त्वको वादके बन्धनमें जकड़कर जड़ बना देनेके खिलाफ थे। अिसलिअे अुनका तत्त्व आजकी दुनियामें कुछ अनोखी ही छाप डालता है। अिसलिअे अुसे कोअी ग्रहण करना चाहे तो भले करे, लेकिन अुसे हजम करके किसी निश्चित वादका रूप देना निरर्थक मालूम होता है। गांधीवादी आजकी राजनीतिक स्थितिको देखकर अिस या अुस दलकी तरफ झुकें, यह दूसरी बात है। अुसे गांधी-तत्त्वके साथ मिलाना ठीक नहीं होगा। गांधी-तत्त्व तो हमारी प्राचीन धर्मभूमिसे अर्वाचीन युगको फिरसे पूर्ण धर्म-जीवनका पाठ देनेके लिअे पैदा हुआ जीवनामृत है। वह व्यक्ति और समाज दोनोंको आदेश देता है। अुसका अनुशीलन जाग्रत जीवन द्वारा करना है। वह कोअी 'डॉग्मा' या कलमा नहीं है। गांधीजीने 'आत्मकथा' की प्रस्तावनामें जो वाक्य कहा है, वही अुसका मूल मंत्र है:

> "भले मेरे जैसे अनेक लोगोंका क्षय हो, लेकिन सत्यकी विजय हो। अल्पात्माको नापनेके लिअे सत्यका गज कभी छोटा न बने।"

अैसे सत्योंका सर्जन वाद बननेके लिअे नहीं होता। वे तो जीवनका निर्माण करते ही रहते हैं; अुनकी बाहरसे दिखनेवाली पराजयमालामें ही अुनका मूल विजय-तंतु ओतप्रोत रहता है।

१५-८-'५३ **मगनभाअी देसाअी**

(गुजरातीसे)

गोरक्षा भारतीय संस्कृतिकी मांग है

अभी मेरा ध्यान यहां गायकी सेवामें जो अेक भक्त कअी दिनोंसे तपस्या कर रहा है, अुसकी तरफ जा रहा है। मैंने सोचा कि अुसके बारेमें अपनी कुछ भावनायें व्यक्त करूं। जिस अुद्देश्यके लिअे अुन्होंने यह तप किया है, अुसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं मानता हूं कि भारतकी सभ्यताकी यह मांग है कि हिन्दुस्तानमें गोरक्षा होनी ही चाहिये। अगर हम हिन्दुस्तानमें गोरक्षा नहीं कर सके, तो आजादीके कोअी मानी ही नहीं होते। यह बात मैंने प्लानिंग-कमीशनके सामने भी स्पष्ट शब्दोंमें कही थी। परंतु आज हम जिस हालतमें हैं, और हरअेक राज्यकी सरकार जब अिस विषय पर सोच रही है, अुस हालतमें अुपवास आरंभ करना मैंने अच्छा नहीं माना। गांधीजीकी मृत्युके बाद अिन पांच सालोंमें कअी प्रकारके अनशन हुअे हैं, परंतु अैसा कोअी अनशन नहीं हुआ जिसे मैं सत्याग्रहकी मेरी जो दृष्टि है अुसकी कसौटी पर अच्छा मान सकता। कअी अनशनोंको मैंने तुड़वाया है और कअी जारी भी रहे हैं। बहुत अच्छा हो कि किसीको अनशन करना हो तो वह मेरे जैसे मनुष्यसे, जो अुस पर चिन्तन करता है और अनशनके शास्त्रके विषयमें जिसे कुछ जानकारी है, पहले सलाह-मशविरा कर ले। अैसे मनुष्यसे सलाह करनेमें कोअी कुछ खोयेगा नहीं, बल्कि पायेगा ही। हिन्दुस्तानमें आज कअी तरहके असंतोष हैं, यह मैं जानता हूं। परंतु सबका अिलाज अेक ही है — जनमत तैयार करना चाहिये और सबसे काम लेना चाहिये। आज देशके सामने कअी समस्यायें हैं। अेक साथ सभी समस्याओं पर नहीं सोचा जा सकता। अिसलिअे अेक अेक समस्या पर ही हम सोच सकेंगे। परंतु मैंने कहा है कि हिन्दुस्तानमें गोरक्षा होनी चाहिये। अगर गोरक्षा नहीं होती, तो कहना होगा कि हमने अपनी आजादी खोअी और अुसकी सुगन्ध गंवाअी।

कुछ लोगोंको आजकल अेक गलत खयाल हो गया है। हिन्दुस्तानमें आज 'सेक्युलर स्टेट' की बात चली है। वह अच्छी बात है। गलत नहीं है। हमारी सभ्यतामें ही यह बात है कि जो राज्य चलेगा, वह सब धर्मोंकी समान रक्षा करेगा। पक्षपात नहीं करेगा। अशोकके जमानेमें भी खुद अशोक बौद्ध था, परंतु प्रजा तीन धर्मोंमें — हिन्दू, बौद्ध और जैन — बंटी हुअी थी। लेकिन तीनोंकी समान अिज्जत होती थी और तीनोंकी समान रक्षा होती थी। अिसीलिअे हम अशोकका अितना आदर करते हैं और हमने अुसीका चिन्ह अपने राज्यके लिअे लिया है। सेक्युलर स्टेट तो अच्छा ही

www.vinoba.in

है। अुसका गोरक्षाके साथ कोअी विरोध नहीं है। अगर अैसा होता कि आज हिन्दुस्तानमें जितने धर्म हैं, अुनमें से अेक धर्म कहता कि गायको मारना पाप है और दूसरा धर्म कहता कि गायको कत्ल करना पुण्य है, तो सरकार कहती कि अिस तरह दो धर्मोंमें विरोध है, तो दोनोंको अपने-अपने मतके अनुसार चलनेकी अिजाजत होनी चाहिये; अिसलिअे सरकार अिस बारेमें कुछ नहीं कर सकती। परंतु आज अैसी बात नहीं है। मैंने कुरान और बाअिबिलका गहराअीसे और अत्यन्त प्रेमके साथ अध्ययन किया है। और जिस तरह मैंने वेदोंका चिन्तन किया है, अुसी तरह कुरान और बाअिबिलका भी किया है। अिसलिअे मैं मुसलमान और अीसाअियोंकी ओरसे अुनका प्रतिनिधि बनकर कहता हूं कि अुन दोनों धर्मोंमें अैसी कोअी बात नहीं है कि गायका बलिदान हो। अुन धर्मोंमें बलिदानकी बात तो है। वैसे हिन्दू धर्मोंमें भी है। परंतु गायका ही बलिदान होना चाहिये, अैसी कोअी बात अुन धर्मोंमें नहीं है। और अिस्लामकी तो यह आज्ञा है कि अपने पड़ोसीकी भावनाओंका खयाल रखा जाय। अिसलिअे मैं कहता हूं कि हमारे सेक्युलर स्टेटमें गोरक्षा होनी चाहिये। परंतु आजकल कुछ लोगोंको हिन्दू कहलानेमें भी झिझक मालूम होती है। यह बात गलत है। मैं तो कहता हूं कि हरअेक हिन्दू अच्छा हिन्दू बने, हरअेक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और हरअेक अीसाअी अच्छा अीसाअी बने। और यहां पर सब धर्मोंका अेक शुभ संगीत चले। अेक दूसरेकी अुपासनासे अेक दूसरेको पुष्टि मिले और सब मिलकर भगवानका गुणगान करें। भगवानके अनन्त नाम और अनन्त गुण हैं। जब अेक मामूली शहरमें पहुंचनेके लिअे कअी रास्ते होते हैं, तो भगवानके पास पहुंचनेके भी असंख्य रास्ते हो सकते हैं। अिसलिअे हर कोअी अपने-अपने मार्गसे भगवानके पास पहुंचनेकी कोशिश करे। अिससे हिन्दू न सिर्फ अच्छे हिन्दू बनेंगे, बल्कि अच्छे मानव भी बनेंगे; मुसलमान न सिर्फ अच्छे मुसलमान बनेंगे, बल्कि अच्छे मानव भी बनेंगे; अीसाअी न सिर्फ अच्छे अीसाअी बनेंगे, बल्कि अच्छे मानव भी बनेंगे। अिसलिअे सब अपने-अपने धर्मोंकी अेकाग्रता और निष्ठासे अुपासना करें, यही मैं चाहता हूं। अिससे हमारे देशमें अेक मधुर स्नेहमय जीवन बनेगा। अिसलिअे हिन्दुओंको हिन्दू कहलानेमें लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिये, बल्कि अुनको निष्ठासे हिन्दू धर्मकी अुपासना करनी चाहिये।

मैं जानता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंटकी गोरक्षाके प्रति सहानुभूति है। परंतु वह कहती है कि यह स्टेट गवर्नमेंटका काम है। मैं जिस प्रान्तमें रहता हूं, अुस मध्यप्रदेशमें गोरक्षाका कानून बना है। मैं आजकल अिधर हीं घूमता हूं। अिसलिअे वह कानून कैसा बना है, यह मैंने नहीं देखा। यहां बिहारमें भी अेक कानून बनने जा रहा है। मैंने अुस बिलको देखा है। अुससे मेरा समाधान नहीं हुआ है। अुसमें गाय और गायके बछड़ोंकी रक्षाकी ही बात है। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि अिस तरह गाय और बैलमें फर्क क्यों किया जा रहा है। परंतु मैंने सुना है कि हमारे संविधानमें गोरक्षाकी जो कलम है, अुसके मुताबिक गाय और गायके बछड़ोंकी रक्षाकी ही जिम्मेवारी मानी गअी है। बैलकी जिम्मेवारी नहीं मानी गयी है। संविधानके बारेमें कुछ कहनेका मैं अधिकारी नहीं हूं। अुसके जो माहिर हैं, वे वकील लोग ही अुसके बारेमें कहेंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि संविधानका यह अर्थ मैं नहीं मानता हूं। आपने केवल आर्थिक खयालसे गायकी जिम्मेवारी अुठाअी है या अिस खयालसे अुठाअी है कि वह भारतीय सभ्यताकी अेक मांग है। अगर केवल आर्थिक खयाल हो, तो गायकी जिम्मेवारी मत अुठाओ। क्योंकि अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे लूली-लंगड़ी व कमजोर गायोंकी रक्षा करना गलत माना गया है। अर्थशास्त्र अेकाक्ष है। वह कहता है कि कमजोर गाय-बैलोंको मारो, तो अुत्तम गाय-बैलोंकी रक्षा होगी। अगर अैसी बात है तो फिर आप कमजोर गायोंकी रक्षाकी जिम्मेवारी क्यों अुठाते हैं? अिसीलिअे न कि वह भारतीय सभ्यताकी मांग है? अगर अैसा समझते हों तो बैलोंकी रक्षाकी भी जिम्मेवारी अुठाओ।

गाय और बैल दोनों मिलकर गौ कहा जाता है। दोनोंमें फरक नहीं है। वेदोंमें गायके लिअे अघ्न्या और बैलको अघ्न्य कहा गया है। अिस शब्दका मतलब है कि जिसको मारना नहीं। अिस तरह यहांकी सभ्यताने गाय और बैल दोनोंकी रक्षाकी जिम्मेवारी अुठायी है। अिसलिअे मैं चाहता हूं कि असेम्बलीमें हमारे जो भाअी हैं, वे अुस बिलमें संशोधन करें और बैलकी भी जिम्मेवारी अुठायें। अगर यहांकी सभ्यताका खयाल करते हो, तो यह करना होगा। और केवल अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे सोचते हो, तो कमजोर गायोंकी भी जिम्मेवारी मत अुठाओ। साफ कहो कि हम गरीब हैं, हम कमजोर गाय-बैलोंकी जिम्मेवारी नहीं अुठा सकते। परंतु कुछ संस्कृतिका खयाल करते हो, तो फिर केवल गायकी ही जिम्मेवारी क्यों अुठाअी? गाय और बैल दोनोंकी जिम्मेवारी अुठाना यह अेक हिन्दुस्तानका समाजवाद है। पाश्चात्य देशोंके समाजवादसे हमारे लोग अेक कदम आगे बढ़े हैं। अुनका समाजवाद मानता है कि हरअेक मनुष्यकी पूरी रक्षा होनी चाहिये। लेकिन भारतीय समाजवादमें मानवोंने गायको भी अपने परिवारमें दाखिल किया गया है। हां, अुसके अनुसार हम बर्ताव नहीं करते। सिर्फ गौ का आदर करते हैं। परंतु अुसकी सेवाका जैसा काम परदेशमें चलता है वैसा यहां नहीं चलता। फिर भी हमारे मनमें अुसके लिअे आदर है। और जिस तरह हम अपने घरके बूढ़े लोगोंकी रक्षा करते हैं, अुसी तरह गाय-बैलको भी हमने अपने परिवारमें दाखिल कर लिया है। अुन दोनोंका हम पूरा अुपयोग लेंगे, दूध लेंगे, अुनके गोबरका अुपयोग करेंगे, मरने पर अुनके चमड़ेका अुपयोग करेंगे, परंतु अुन्हें सहज मृत्यु मरने देंगे। यह बात यहांके समाजवादने मानी है। लेकिन अुसके साथ हमें वैज्ञानिक बुद्धि भी रखनी चाहिये। सिर्फ गायकी पूजा करनेसे काम नहीं होगा। गोसदन खोलना चाहिये। कमजोर गायोंकी रक्षाके लिअे व्यापारियों और श्रीमान लोगोंको मदद करनी चाहिये।

मैंने जो भूदानका काम अुठाया है, अुसमें गोरक्षा भी अन्तर्हित है। परंतु मेरी यह वृत्ति है कि 'अेक ही साधे सब सधे'। यह काम अैसा है कि अिससे सारे समाजका परिवर्तन होगा। तो अुसमें गायकी भी रक्षा हो जायगी। दूसरे देशके लोग हमें पूछ सकते हैं कि आप सिर्फ गायकी ही रक्षा क्यों करते हैं, दूसरे जानवरोंकी क्यों नहीं करते? अिस पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने परमेश्वरकी जिम्मेवारी नहीं अुठाअी है। हमने अपनी मर्यादा मान ली है। हम गाय-बैलोंका अुपयोग करते हैं, अिसलिअे अुनकी रक्षाकी जिम्मेवारी हमने मान ली है। आजकल जो ट्रेक्टरकी बात चलती है, अुसे मैं पसन्द नहीं करता। अुससे गोरक्षा नहीं हो सकती। पड़ती जमीन तोड़नेके लिअे ट्रेक्टरका अुपयोग हो सकता है। परंतु सामान्य खेतीके काममें अुसका अुपयोग करना यानी गोहत्या ही करना होगा।

हमारी प्रियतमा भगिनी, दैवी सम्पत्तिकी मानो मूर्ति मीरा देवीने हमें आगाह किया है कि हिन्दुस्तानमें भूमिका मसला हल करनेके लिअे तुम घूम रहे हो। परंतु खबरदार, वृक्षोंका भी खयाल करो। नहीं तो नुकसान होगा। अुनकी सूचनासे मुझे बहुत आनंद हुआ है। मैं अुस चीजको भूला तो नहीं था, परंतु अुन्होंने याद दिलाअी अिससे मुझे खुशी हुअी। भूदान-यज्ञका यह कार्य सर्वा-

www.vinoba.in

गीण यज्ञ है। अिससे सब काम बननेवाले हैं। जिन प्राणियोंकी जिम्मेवारी हमारी संस्कृतिने अुठाअी है — सबकी तो नहीं अुठाअी है, क्योंकि हमने अपनी मर्यादा मान ली है — अुनकी रक्षाकी शक्ति और बुद्धि परमेश्वर हमें दे, अुसके लिअे त्याग करनेकी शक्ति हमें दे, यही मेरी प्रार्थना है। त्यागका मतलब अनशन नहीं, बल्कि घर-घर जाकर गोरक्षाके लिअे मदद मांगना और गोसदन खोलना है।*

विनोबा

अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने बंबअीमें ता० २८, २९ और ३० जुलाअी १९५३ को हुअी अपनी बैठकमें जो मुख्य निर्णय किये, अुनमें अेक यह भी था कि आगामी गांधी-जयन्ती खादी बिक्रीका अेक विशेष कार्यक्रम बनाकर मनाअी जाय। बोर्डने अिस मौकेके लायक खादी सुलभ बनानेके लिअे अेक विशेष अुत्पादन-आन्दोलन शुरू करनेका भी निर्णय किया। खादी-अुत्पादनके कार्यक्रमको तीव्र बनानेके लिअे रु० ३१ लाखके कर्ज मंजूर किये गये।

यह तय किया गया कि जनवरी १९५४ के अन्तमें किसी समय दिल्लीमें अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शन किया जाय। नअी दिल्लीमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योगोंकी चीजें बेचनेके लिअे अेक बड़ी दुकान खोलनेका भी निश्चय किया गया।

गांवमें चलनेवाले कुम्हार-कामको मदद पहुंचाने और अुत्पादनकी पद्धतिमें सुधार करनेके लिअे बनाअी गअी योजना मंजूर की गअी, जिस पर अमल करनेमें ५० हजार रुपये खर्च होंगे। देशके विभिन्न भागोंमें मार्गदर्शनके लिअे पांच अुत्पादन-केन्द्र खोलनेका सुझाव रखा गया ह।

बोर्डने दो सुधरी हुअी किस्मोंकी चक्कियां दाखिल करके नाज-कुटाअीके अुद्योगमें सुधार करनेके कार्यक्रमको भी स्वीकृति दे दी है।

भारत-सरकार तथा कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियोंने देशकी बेकारीके प्रश्नकी ओर हालमें जो ध्यान दिया है, अुसे देखते हुअे बोर्डने भारत-सरकारके सामने अपनी यह राय पेश की है कि खादी और ग्रामोद्योगोंका विकास अिस बुराअीका सामना करनेका अेक सबसे कारगर रास्ता है। बोर्डने यह आशा प्रकट की है कि गांवोंमें फैली हुअी बेकारीके कारण आज जो हालत पैदा हो गअी है, अुसका सामना करनेके लिअे जहां खादी और दूसरे ग्रामोद्योगोंका काम अुन्नति कर रहा है वहां अिनके अुत्पादनकी मात्रा बढ़ानेके और जहां अभी अिनकी पहुंच नहीं हुअी ह, वहां अिस कामको फैलानेके जरूरी कदम अुठानेमें भारत-सरकार बोर्डकी मदद करेगी। बोर्डकी रायमें यह काम राष्ट्रीय पुनर्निर्माणके कार्य-क्रमका अभिन्न और महत्त्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिये।

(अंग्रेजीसे) वी० पी० सबनीस

दफ्तरमंत्री, अ० भा० खा० ग्रा० बोर्ड

* हजारीबागमें ता० १८-७-'५३ को सुबह दिये हुअे भाषणसे।

गोसेवा

[दूसरा संस्करण]

लेखक : **गांधीजी**

अनु० **रामनारायण चौधरी**

कीमत १-८-० डाकखर्च ०-४-०

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक : **गांधीजी**; अनु० **काशिनाथ त्रिवेदी**

कीमत १-८-० डाकखर्च ०-८-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

हरिजनोंका जलकष्ट-निवारण

जिन सार्वजनिक स्थानोंका समान अुपयोग हरिजनों द्वारा हमें प्रयत्नपूर्वक कराना है, अुनमें कुओं अेवं अन्य जलाशयोंका अुपयोग सबसे अधिक महत्त्व रखता है। मंदिरोंमें यदि अुनको जाने नहीं दिया जाता या वे स्वयं ही अुनमें नहीं जाना चाहते, तो अिससे अुनका अपना कुछ खास बिगड़ता नहीं है। यह तो हिन्दू-धर्म पर लगा हुआ अेक लज्जास्पद कलंक है, जिसे सवर्ण-समाजको, हरिजनों द्वारा मंदिर-प्रवेशकी मांग न रहते हुअे भी, स्वयं ही मिटाना है। होटलों और अुपाहार-गृहोंमें यदि हरिजनोंके साथ अपमानजनक भेदभाव बरता जाता है, तो या तो वे होटलवालों पर कानूनका सहारा लेकर मुकदमा चला सकते हैं, या अैसे होटलों और अुपाहार-गृहोंमें वे जायंगे ही नहीं। अैसी हालतमें अगर वे अपने लिअे अपने खास होटल खोल लेते हैं, तो अुससे अुनका काम तो चल जायेगा। पर सवर्णोंके लिअे यह अेक शर्मकी बात होगी। अैसे नये होटल और अुपाहार-गृह अस्पृश्यता-निवारणमें सहायक हो सकते हैं, यदि अुनमें जाकर सवर्ण हिन्दू भी खाने-पीने लग जायें। शिक्षण-शालाओंमें हरिजन बच्चोंके साथ जो भेदभाव पहले बरता जाता था, वह आज सद्भाग्यसे दूर हो गया है। सभा-सम्मेलनोंमें भी हरिजनोंके साथ आज शायद ही कभी कहीं भेदभाव बरता जाता है। ग्रामोंमें अभी जरूर सार्वजनिक समारोहोंमें कभी-कभी कुछ भेदपूर्ण बर्ताव देखनेमें आता है। मगर सार्वजनिक स्थानों और समारोहोंकी अपेक्षा कुओं व अन्य जलाशयोंके अुपयोगका प्रश्न जटिल और भयंकर है। जिन थोड़ेसे भागोंमें हरिजन-सेवकोंकी ओरसे, और कहीं-कहीं सरकारके प्रयत्नसे भी कुछ काम हुआ है, वहां थोड़ी संख्यामें सार्वजनिक कुओं और अन्य जलाशयोंका अुपयोग हरिजन करने लगे हैं। अुनकी बस्तियोंमें कुछ नये कुअें खुद जानेसे भी अुनका अपमानपूर्ण जल-कष्ट कहीं-कहीं कुछ कम हो गया है।

जल-कष्ट-निर्वारणके तब दो अुपाय या दो रास्ते हैं — अेक तो यह कि आपत्ति अुठानेवाले लोगोंको अच्छी तरह समझा-बुझाकर या अन्तमें निर्योग्यता-निवारक कानूनका सहारा लेकर सार्वजनिक — मकानके अन्दरके कुअेंके सिवा सब कुअें सार्वजनिक ही होते हैं — कुओंको सभीके लिअे खुलवा दिया जाय; और दूसरा यह कि तात्कालिक कष्टपूर्ण स्थितिको देखते हुअे हरिजनोंकी बस्तियोंके पास या तो राज्य-सरकारों द्वारा कुअें खुदवानेका प्रबंध कराया जाय या लोगोंको कूप-दान करनेके लिअे प्रेरित किया जाय। हरिजनोंकी जो बस्तियां ग्रामोंकी आम आबादीसे दूर हों, अुनके नजदीक तो नये कुअें खुदवाना आवश्यक ही है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या दया-भावनासे द्रवित होकर जल-कष्ट दूर करनेके लिअे अलग कुअें खुदवानेका ही कार्यक्रम प्रमुख रूपसे हाथमें ले लिया जाये? अिसमें सन्देह नहीं कि हरिजनोंके जल-कष्टको जल्द-से-जल्द दूर करना हमारा सबका और सरकारका पहला फर्ज है। यह मानते हुअे भी अलग कुअें खुदवाने पर बहुत जोर देना अस्पृश्यता-निवारणका मुख्य कार्यक्रम नहीं हो सकता। सार्वजनिक कुओं पर हरिजनोंको चढ़ानेका हमारा मुख्य कार्यक्रम अिससे शिथिल भी पड़ सकता है। हमें अेक क्षणके लिअे भी यह नहीं भूलना चाहिये कि अस्पृश्यता-निवारण द्वारा समाजमें समानता स्थापित करना ही हमारा मुख्य प्रश्न है; दूसरे सब अुपप्रश्न हैं।

अूपरकी अिस भूमिकाको सामने रखकर हरिजन-सेवक-संघने सार्वजनिक कुओं और जलाशयोंको अधिक-से-अधिक संख्यामें हरिजनोंके लिअे खुलवानेका शुरूसे ही आग्रह रखा है। मेरा निवेदन है कि पूज्य ठक्कर बापाकी जयन्ती तक, जो २९ नवम्बरको पड़ेगी, प्रेमपूर्वक लोगोंको समझा-बुझाकर और जहां जरूरत हो वहां सामाजिक निर्योग्यता-निवारक कानूनका सहारा लेकर भी अधिक-से-अधिक कुअें व अन्य जलाशय हरिजनोंके लिअे खुलवाये जायें। साथ ही, जिन स्थानोंमें हरिजन-बस्तियां आम आबादीसे

www.vinoba.in

दूर हों, वहांका जल-कष्ट दूर करनेके लिअे सरकार द्वारा सबके समान अुपयोगके निमित्त कुअें खुदवानेका भरसक प्रयत्न कराया जाय, और लोगोंसे कूप-दान करनेका भी अनुरोध किया जाये।

अिससे पहले नीचे लिखे अनुसार कुछ चुने हुअे क्षेत्रोंकी जांच करा लेनी आवश्यक है:—

१. अैसे कितने कुअें और अन्य जलाशय हैं, जिनका अुपयोग पहलेसे ही हरिजन बिना किसी रोक-टोकके सबके समान करते आ रहे हैं? अुन कुओंसे अेक साथ अेक ही समयमें सब पानी भरते हैं, या अलग समयमें? कुअेंकी जगतका अलग स्थान या पनघट अुनके लिअे नियत तो नहीं है?

२. हरिजन-सेवकों या सरकारी अधिकारियोंके प्रयत्नसे हालमें कितने कुअें और दूसरे जलाशय हरिजनोंके लिअे खोले गये हैं? खोले जानेके बाद अुनसे हरिजन क्या रोज पानी भरते हैं?

३. खासकर हरिजनोंके लिअे कितने नये कुअें सरकारके जरिये या सार्वजनिक प्रयत्नसे बनवाये गये हैं?

४. सार्वजनिक कुओं और अन्य जलाशयों पर भेदभाव बरतनेके कारण हरिजनोंको क्या-क्या अपमान और कष्ट अुठाने पड़ते हैं?

५. जल-कष्ट-निवारणके लिअे सरकारी और गैरसरकारी क्या प्रयत्न हो रहे हैं?

हरिजन-सेवक-संघ, वियोगी हरि
हरिजन-निवास, दिल्ली

सरकारें शराबबंदी करना न भूलें

राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित (ता० १५ से २१ अगस्त तक) मद्यनिषेध सप्ताहकी सफलताके लिअे नीचेका संदेश भेजा है:—

"मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मद्यनिषेध सप्ताह मनानेके निश्चयका मैं स्वागत करता हूं। सामाजिक सुधारके सब कामोंमें प्रचार करने और लोकमत जगानेकी बहुत जरूरत है। परंतु मद्यनिषेध या नशाबंदीके मामलेमें प्रचारकी विशेष आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि मदिरा पीनेवालोंमें बहुतसे अैसे होंगे, जो अेक बार किसी कारण पी लेनेके बाद बिना सोचे-समझे शराबका अिस्तेमाल किये जाते हैं। समझाने-बुझाने पर और शराबके दुर्लभ कर दिये जाने पर ये लोग सहज ही अिस बुरी आदतको छोड़ सकते हैं। अिसलिअे मेरा विचार है कि अिस दिशामें सुव्यवस्थित और व्यापक प्रचारका बड़ा महत्त्व होगा।

"स्वतंत्रता प्राप्त करनेसे पहले ही कांग्रेसने अेक राजनैतिक दलकी हैसियतसे नशाबंदीके संबंधमें अपने विचार स्थिर कर लिये थे। सत्तारूढ़ होनेके बाद कअी प्रांतोंमें कांग्रेस मंत्रिमंडलोंने अपने विचारोंको कार्यान्वित भी किया।

"नशाबंदीको सफल बनानेके लिअे लगनकी निश्चय ही आवश्यकता है, परंतु अिसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि अिस दिशामें ठोस प्रयत्न किया जाय और जनसाधारणको अिस कार्यक्रमका महत्त्व समझाया जाय। यह दूसरा काम जनताके निरक्षर होनेके कारण आसान नहीं है। मध्यप्रदेशमें, जहां बहुतसे अिलाके पिछड़े हुअे हैं और जिनमें आदिवासी लोग रहते हैं, प्रचारके कार्यका विशेष महत्त्व है। मुझे प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश सरकार अिस मामलेमें जागरूक और प्रयत्नशील है। मेरी यह हार्दिक कामना है कि अुसका यह प्रयास सफल हो और जनताका कल्याण हो।"

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूने अपने संदेशमें मद्यनिषेध-सप्ताहकी सफलताकी कामना करते हुअे कहा है:—

"मुझे मालूम हुआ कि मध्यप्रदेशमें मद्यनिषेध-सप्ताह मनाया जा रहा है। मुझे आशा है अिस प्रयासमें सफलता अवश्य मिलेगी। मद्यनिषेधकी नीति हमारी राष्ट्रीय नीति है; अेक वास्तविक समस्याको हल करनेका कोरा सिद्धान्त नहीं है।

"हमारे कुछ बड़े नगरोंमें और कुछ लोगोंके बीच अेक विचित्र विचार मनमें बैठ गया है और अिससे अुत्साहित होकर लोगोंमें यह विश्वास अुत्पन्न हो गया है कि मद्यपान फैशनमें शामिल है। जहां तक हिन्दुस्तानका सवाल है, यह विश्वास किसी तरह शोभारूप नहीं है और जितने शीघ्र लोग अिसे त्याग दें अुतना ही अच्छा होगा।"

प्रदेशोंकी दूसरी सरकारोंको भी चाहिये कि वे सब शराबबंदीको बराबर याद रखें और अपना धर्म न भूलें। अिसके लिअे भी खास पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिये।

१८-८-'५३ मगनभाअी देसाअी

बम्बअीके लिअे सुअवसर

बम्बअी राज्यको शासन-विभागसे अलग स्वतंत्र न्याय-विभाग आरंभ करनेका अद्वितीय सौभाग्य और गौरव हासिल हुआ है। अगर न्याय-विभाग अपनी नयी जिम्मेदारी योग्यतापूर्वक निबाहे, तो यह अुसके लिअे अेक महान अवसर बन सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था (देखिये 'हरिजनसेवक', १९ जुलाअी, '५३) आज हमारे यहां न्यायकी जो अंग्रेजी पद्धति चल रही है, अुसके दोष अब फौरन दूर होने चाहिये। मैंने मुख्य दोष ये बताये थे — न्यायमें देरी, खर्चीलापन और विदेशी भाषाका अुपयोग। आगरामें हुअी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकने सिफारिश की है कि "न्यायकी पद्धतिमें आवश्यक परिवर्तन होने चाहिये; अुसे ज्यादा सरल, कम खर्चीली, और जल्दी काम करनेवाली बनाना चाहिये, ताकि वह लोकहितकारी राज्यके लक्ष्यकी और अुसकी आवश्यकताओंकी सही पूर्ति कर सके।" यह बात तभी हो सकती है जब कि वकील, न्यायाधीश और न्याय-विभागके कर्मचारी अिस सुधारके लिअे आपसमें हार्दिक सहकार करें। अगर अैसा महसूस हो कि अिस तरहके सुधार पहले ब्रिटेनमें होने चाहिये, ताकि अुनमें आवश्यक निश्चय और विश्वास पैदा हो और साथ ही अनुकरणके लिअे अेक नमूना भी हो जाय, तो अेक विशेष कमेटीने अिस विषय पर ब्रिटिश सरकारको जो रिपोर्ट पेश की है अुससे वे लाभ अुठा सकते हैं। अगर जरूरी हो तो बम्बअी सरकार खुद हाअीकोर्टकी सलाहसे अिस कामके लिअे विशेष कमेटीकी नियुक्ति कर सकती है। अच्छा हो यदि यह प्रश्न जरूरी और तत्काल करने योग्य माना जाय, क्योंकि अुसका जनताके हितसे बहुत गहरा संबंध है।

८-८-'५३ म० प्र०
(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची

		पृष्ठ
संविधान और पिछड़े हुअे वर्ग	मगनभाअी देसाअी	१९३
अुर्दू न तो हिन्दीकी विरोधी है, न राष्ट्र-हितकी	जाकिर हुसैन	१९४
गांधीजी और विभिन्न वाद	मगनभाअी देसाअी	१९६
गोरक्षा भारतीय संस्कृतिकी मांग है	विनोबा	१९७
अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	वी० पी० सबनीस	१९९
हरिजनोंका जलकष्ट-निवारण	वियोगी हरि	१९९
सरकारें शराबबंदी करना न भूलें	मगनभाअी देसाअी	२००
टिप्पणी :		
बंबअीके लिअे सुअवसर	म० प्र०	२००

www.vinoba.in